

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डी 2670/2013/अलेसे-III/904

दिनांक :- 08-9-2021

कार्यालय आदेश

श्री दिलकुश मीणा, कनि. लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा के द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किये जाने पर निदेशालय के आदेश सं. एफ.4(ई)(1)(6)/डी 2670/2013/अलेसे-III/2578/दिनांक 24.01.2019 के द्वारा दिनांक 09.01.2019 से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषाधिकारी, कोटा किया गया था। श्री दिलकुश को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री दिलकुश मीणा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा कोषालय कोटा के पत्रांक कोष/स्था. /2021-22/143 दिनांक 16.07.2021 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 53(1) के अनुसरण में श्री दिलकुश मीणा, कनि. लेखाकार (निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की नियमानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।


(दिलकुश मिश्रा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/डी 2670/2013/अलेसे-III/904
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 08-09-2021

1. कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो कोटा को सूचनार्थ।
3. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, कोटा।
4. कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय अधिशाषी अभियंता पी.एच.ई.डी. बारों।
8. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)